

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
गया (बिहार)

पटना, दिनांक

विषय:- *Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield Highway From Shivrampur (Ch-55+002) to Ramnagar (Ch-109+324) Pkg-2 of NH-119D Under Bharatmala Pariyojana in the State of Bihar on Hybrid Annuity Mode-Reg. अन्तर्गत Embankment एवं Subgrade निर्माण कार्य मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव के संबंध में ।*

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1415 दिनांक-14.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य अभियंता, पटना परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी के अधीन Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield National Highway From Shivrampur (Ch-55+002) to village Ramnagar (Ch-109+324) (Package-II) of NH-119D Under Bharatmala Pariyojana in the State of Bihar on Hybrid Annuity Mode अन्तर्गत Embankment एवं Subgrade निर्माण के लिए पटना जिलान्तर्गत विभिन्न नदियों (अनुलग्नक-I) से मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव कार्य हेतु निम्नवत शर्तों के साथ विशेष परिस्थिति में, जिससे की नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/जमींदारी बाँधों/संरचनाओं/Morphological behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

- 1 नदी के दोनों तरफ किनारे से 4-4 मी0 छोड़ कर अधिकतम 1.5 मी0 की गहराई तक ही Embankment एवं Subgrade निर्माण हेतु मिट्टी की खुदाई की जा सकती है ।
- 2 नदी भाग में स्लोप में जहाँ भी सुरक्षात्मक कार्य किया गया है, जीयो बैग पी0पी0रोप गैबियन टो के किनारे से 6-6 मी0 छोड़कर अधिकतम 1.0 मी0 की गहराई तक ही Embankment एवं Subgrade निर्माण हेतु मिट्टी की खुदाई की जा सकती है ।
- 3 नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।
- 4 मिट्टी खुदाई के दौरान नदी के दोनों किनारे पर बने बाँध में किसी प्रकार की क्षति ना हो । क्षति होने पर उसकी सारी जवाबदेही NHAI की होगी । क्षति होने की स्थिति में आसन्न बाढ़ अवधि के मद्देनजर स्थल पर अविलम्ब सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी NHAI की होगी एवं इसपर होने वाला व्यय NHAI द्वारा वहन किया जायेगा ।

- 5 मिट्टी खुदाई के दौरान नदी में बने संरचनाओं आदि में किसी प्रकार की क्षति ना हो । क्षति होने पर उसकी सारी जवाबदेही NHAI की होगी ।
- 6 कार्य करते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय । नदी के बेड में कार्य कराने के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता को इसकी सूचना दी जायेगी एवं इनके देख-रेख में नदी से खुदाई की जायेगी ।
- 7 उड़ाही में निकले मिट्टी/बालू का खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को Royalty एवं Seignorage fee की राशि का भुगतान NHAI के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।
- 8 कार्य समाप्ति के बाद अथवा बाढ़ अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व (01 जून, 2026 के पूर्व) नदी में जल प्रवाह को सुचारू बनाये रखने निमित्त नदी से सभी प्रकार के अवरोध को पूर्ण रूप से हटाया जाना आवश्यक होगा ।
- 9 सड़क, पाईपलाइन आदि जैसे रेखिय परियोजना के लिए साधारण मिट्टी की निकासी के संबंध में बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पत्रांक-170 दिनांक-10.04.2024 से निर्गत पत्र का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।
- 10 उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा । विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
- 11 बाढ़ अवधि प्रारंभ होने के पूर्व नदी में जल प्रवाह को सुचारू बनाये रखने निमित्त नदी से सभी प्रकार के अवरोध को हटाया जाना आवश्यक होगा ।
- 12 नदी से मिट्टी निकासी एवं आवागमन के क्रम में तटबंध/बांध को यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी तत्काल मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कराने की जिम्मेवारी NHAI की होगी एवं इसका व्यय NHAI द्वारा वहन किया जायेगा ।
- 13 नदियों में LWL से 0.60 मी० नीचे तक मिट्टी /गाद की निकासी किया जायेगा ।
- 14 यह आनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है । अन्य विभागों से यदि आवश्यकता हो तो आनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त किया जायेगा ।
- 15 NHAI/ संबंधित एजेंसी द्वारा मिट्टी/गाद की निकासी के पूर्व संबंधित स्थल का कार्य के दौरान प्रत्येक 15-15 दिन के अंतराल पर स्थल पर कराये जा रहे मिट्टी/गाद की निकासी तथा मिट्टी/गाद की निकासी की समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण प्रभाग का ड्रोन फोटोग्राफ एवं विडियो जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 16 नदी से मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव, संलग्न Index Map एवं Section (अनुलग्नक-I) के अनुरूप किया जायेगा एवं Clear channel का निर्माण किया जायेगा । साथ ही कार्य के संदर्भ में सूचना विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक-II) संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
- 17 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित्त NHAI को CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।



18 नदी से मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव रीचवार अपस्ट्रीम से प्रारम्भ की जायेगी तथा बिना कोई गैप रखे निर्दिष्ट दूरी तक करायी जायेगी ।

19 नदी से मिट्टी/गाद की कटाई एवं उठाव बाढ़ अवधि में प्रतिबंधित रहेगा ।

20 उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।

21 यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक-31.05.2026 तक ही मान्य होगा ।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III

पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना /अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना / कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III 472

दिनांक:- 31/01/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।


31/01/26
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय